न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 72 / 2023

श्री मनोज कुमार सिन्हा, खाद्य संरक्षा अधिकारी, उप रेल्वे, अजमेर
(कार्यालय अभिहित अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा विभाग, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय), जयपुर) ....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री योगेश सिंह पुत्र श्री उपेन्द्र सिंह, फूड बिजिनेस ऑपरेटर / मैनेजर, पैन्ट्री कार, ट्रेन नम्बर 16531 अजमेर केएसआर बैंगलूरू गरीब नवाज एक्सप्रेस (मैसर्स दून्स कैटरर्स, 5198 बसन्त रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली 110055)
(स्थायी पता – डरमदास का पुरा, पोस्ट काचोगारा, पुलिस स्टेशन देहात भिण्ड मप्र पिन 477332) **(खाद्य कारोबारकर्ता / मैनेजर)**
2. मैसर्स दून्स कैटरर्स, 5198 बसन्त रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली 110055
फोन नम्बर 011–46574789, 9810437692 **(लाइसेन्सी / मैसर्स)**
3. श्री रामाशंकर सिंह पुत्र श्री बिकम सिंह, नॉमिनी मैसर्स दून्स कैटरर्स, 5198 बसन्त रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली 110055
(स्थायी पता – बेहड़ की जमेह, पोस्ट तेहांगुर, पुलिस स्टेशन देहात, जिला भिण्ड, मप्र पिन 477333) **(नॉमिनी / मैसर्स)**
4. श्री नापाराम पुत्र श्री निम्बा राम, प्रोपराईटर मैसर्स पद्मावती कैटरर्स, नम्बर 2 / 3–1, पुराना नम्बर 754 / 1, 2दक क्रॉस, आन्जनेय मन्दिर स्ट्री, यशवन्तपुर, बैंगलूरू अर्बन, बैंगलूरू कर्नाटक पिन 560022
(स्थायी पता – 07, फतेहदान जी के बेरे के पास, पूनावास, जालौर पिन 343022 **(प्रोपराईटर / वितरक)**
5. मैसर्स पद्मावती कैटरर्स, नम्बर 2 / 3–1, पुराना नम्बर 754 / 1, 2दक क्रॉस, आन्जनेय मन्दिर स्ट्री, यशवन्तपुर, बैंगलूरू अर्बन, बैंगलूरू कर्नाटक पिन 560022 **(प्रोपराईटर / फर्म)**
6. श्री शरद सुभाष सुपेकर पुत्र श्री सुभाष सुपेकर, नॉमिनी एण्ड क्वालिटी मैनेजर, गेट नमब्र 2083, एट पोस्ट निघोज, तालुका परनेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र पिन 414306 **(नॉमिनी / निर्माता)**
7. मैसर्स मालगंगा मिल्क एण्ड एग्रो प्रोडक्टस प्रा. लि., गेट नमब्र 2083, एट पोस्ट निघोज, तालुका परनेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र पिन 414306 **(फर्म / निर्माता)**

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 52 के तहत

उपस्थित : 1. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री रामाशंकर सिंह
2. अप्रार्थी संख्या 4 से 5 की ओर से श्री नापाराम
3. अप्रार्थी संख्या 6 से 7 की ओर से श्री शरद सुभाष सुपेकर

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर
सत्यमेव जयते

<u>: आदेश :–</u>

दिनांक– 14.11.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक / क–4 / 08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य संरक्षा अधिकारी, उप रेल्वे, अजमेर कार्यालय अभिहित अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा विभाग, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय) जयपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने मिथ्याछाप (मिस ब्राण्ड) Sterlised double tond milk flavoured badam brand kanhaiyaa का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति पदस्थापन आदेश, माल खरीद बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक जोधपुर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद, खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट, व अन्य दस्तावेजों की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 19.12.2022 को 08:00 एएम पर खाद्य संरक्षा अधिकारी ट्रेन नम्बर 16531 अजमेर केएसआर बैगलूरू गरीब नवाज एक्सप्रेस की पैन्ट्री कार का अजमेर आबूरोड सेक्शन मे मध्य निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री योगेश सिंह मैनेजर मैसर्स दून्स कैटरर्स मौके पर उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय Sterlised double tond milk flavoured badam brand kanhaiyaa की कई पेट बोतल रखा हुआ मिला, जिसे आम जनता कों विक्रय किया जा रहा था। उक्त Sterlised double tond milk flavoured badam brand kanhaiyaa की गुणवत्ता का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 180 **x** 03 x 04 = 2160 मिली (प्रत्येक पैट बोतल कम्पनी द्वारा सील्ड पैक), 360/– रूपयें श्री योगोश सिह को नगद देकर गवाह श्री मनोज सिंह के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी योगेश सिह को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा Sterlised double tond milk flavoured badam brand kanhaiyaa के चार नमूना भाग (प्रतयेक नमूना भाग में 540 मिली, 180 मिली की 03 पेट बोतल) तैयार कर विक्रेता के सामने लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी उ प रेल्वे जयपुर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर एन डब्ल्यू आर 1007 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् मौके पर ही फार्म नम्बर 6 की 8 प्रतियां तैयार की। सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जोधपुर को श्री विनोद कुमार सामान्य सहायक के द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं अति. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप रेल्वे, जयपुर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य संरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप रेल्वे, जयपुर के पत्र क्रमांक मेड/एच/605/एफएसएसए/लैब रिपोर्ट्स/एनडब्ल्यूआर–1007 दिनाक 13.01.2023 के अनुसार खाद्य विश्लेषक, राजस्थान अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/2093/एक्ट/2022/2094 दिंनाक 26.12.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया Sterlised double tond milk flavoured badam brand

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

kanhaiyaa मिथ्याछाप (मिस ब्राण्ड) होना पाया गया। अप्रार्थी श्री योगेश सिंह द्वारा पुनः जॉच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर खाद्य संरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 05.12.2023 को प्रस्तुत किया।

खाद्य संरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 05.12.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी को अप्रार्थी सं 1 से 3 की ओर से श्री रामाशंकर सिंह, अप्रार्थी सं 4–5 की ओर से श्री नापाराम तथा अप्रार्थी सं 6–7 की ओर से श्री शरद सुभाष सुपेकर ने लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर बहस का निवेदन किया। उनकी बहस सुनी गयी। अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि ट्रेन नम्बर 16531 अजमेर केएसआर बैगलूरू गरीब नवाज एक्सप्रेस की पैन्ट्री कार (मैसर्स दून कैटरर्स) से लिया गया Sterlised double tond milk flavoured badam brand kanhaiyaa का नमूना मिथ्याछाप (मिस ब्राण्ड) पाया गया है। गलत लेबलिंग के कारण उक्त नमूना मिथ्या छाप (मिस ब्राण्ड) पाया गया है। वर्तमान में नियमानुसार लेबलिंग की जाकर उच्च गुणवत्ता का उत्पाद को निर्मित कर विक्रयकिया जा रहा है। अतः कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमने पत्रावली एवं खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रत्युत्तर व लिखित बहस का अवलोकन किया। खाद्य संरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया Sterlised double tond milk flavoured badam brand kanhaiyaa मिथ्या छाप (मिस ब्राण्ड) पाया गया है। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया Sterlised double tond milk flavoured badam brand kanhaiyaa मिथ्या छाप (मिस ब्राण्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में मिथ्याछाप (मिस ब्राण्ड) पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर निम्नानुसार शास्ति आरोपित की जाती है –

1. **अप्रार्थी संख्या 1 से 3 पर संयुक्त रूप से रू. 50,000/– (रू पचास हजार रू. मात्र)**
2. **अप्रार्थी सख्या 4 से 5 पर संयुक्त रूप से रू. 20,000 (रू. बीस हजार रू. मात्र)**
3. **अप्रार्थी संख्या 6 से 7 पर संयुक्त रूप से रू. 100,000/– (रू. एक लाख मात्र)**

न्याय निर्णायक अधिकारी * अजमेर *

अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 14.11.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 14.11.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

दिनांक :

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय), जयपुर
3. अभिहित अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा निदेशक, उत्तर पश्चिम रेल्वे (मुख्यालय) जयपुर
4. खाद्य संरक्षा अधिकारी, मण्डल रेल्वे अस्पताल, ब्यावर रोड, अजमेर।
5. श्री योगेश सिंह पुत्र श्री उपेन्द्र सिंह, फूड बिजिनेस ऑपरेटर/मैनेजर, पैन्ट्री कार, ट्रेन नम्बर 16531 अजमेर केएसआर बैंगलूरू गरीब नवाज एक्सप्रेस (मैसर्स दून्स कैटरर्स, 5198 बसन्त रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली 110055)

   (स्थायी पता – डरमदास का पुरा, पोस्ट काचोगारा, पुलिस स्टेशन देहात भिण्ड मप्र पिन 477332) **(खाद्य कारोबारकर्ता/मैनेजर)**
6. मैसर्स दून्स कैटरर्स, 5198 बसन्त रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली 110055

   फोन नम्बर 011–46574789, 9810437692 **(लाइसेन्सी/मैसर्स)**
7. श्री रामाशंकर सिंह पुत्र श्री बिकम सिंह, नॉमिनी मैसर्स दून्स कैटरर्स, 5198 बसन्त रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली 110055

   (स्थायी पता – बेहड़ की जमेह, पोस्ट तेहांगुर, पुलिस स्टेशन देहात, जिला भिण्ड, मप्र पिन 477333) **(नॉमिनी/मैसर्स)**
8. श्री नापाराम पुत्र श्री निम्बा राम, प्रोपराईटर मैसर्स पद्मावती कैटरर्स, नम्बर 2/3–1, पुराना नम्बर 754/1, 2दक क्रॉस, आन्जनेय मन्दिर स्ट्री, यशवन्तपुर, बैंगलूरू अर्बन, बैंगलूरू कर्नाटक पिन 560022

   (स्थायी पता – 07, फतेहदान जी के बेरे के पास, पूनावास, जालौर पिन 343022 **(प्रोपराईटर/वितरक)**
9. मैसर्स पद्मावती कैटरर्स, नम्बर 2/3–1, पुराना नम्बर 754/1, 2दक क्रॉस, आन्जनेय मन्दिर स्ट्री, यशवन्तपुर, बैंगलूरू अर्बन, बैंगलूरू कर्नाटक पिन 560022 **(प्रोपराईटर/फर्म)**
10. श्री शरद सुभाष सुपेकर पुत्र श्री सुभाष सुपेकर, नॉमिनी एण्ड क्वालिटी मैनेजर, गेट नमब्र 2083, एट पोस्ट निघोज, तालुका परनेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र पिन 414306 **(नॉमिनी/निर्माता)**
11. मैसर्स मालगंगा मिल्क एण्ड एग्रो प्रोडक्टस प्रा. लि., गेट नमब्र 2083, एट पोस्ट निघोज, तालुका परनेर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र पिन 414306 **(फर्म/निर्माता)**

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर